242 8 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में अंशकालिक निदेशकों और सरकारी निदेशकों को अनुलाभ।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर दूरसंचार विभाग के दिनांक 4.4.2003 के पत्र सं. जेए(एफ)–2003/यूएसएफ का उल्लेख करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग ने ऐसे कोई दिशा–निर्देश जारी नहीं किए हैं जिनसे निदेशक मंडल/कार्पोरेट्स, सरकारी निदेशकों अथवा अंशकालिक निदेशकों को सरकारी क्षेत्र विभाग से अपने आवासों पर कालीन/परदों आदि सहित कंप्यूटर और सहायक कार्यालयी उपकरणों, फर्नीचर, आदि, बिजली प्रभारों की प्रतिपूर्ति और अंशकालिक कंप्यूटर ऑपरेटर/आशुलिपिक आदि की सुविधाएं लेने के प्रभारों की प्रतिपूर्ति की कोई सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी गई हो। लोक उद्यम विभाग की नवरत्न/मिनीरत्न के संबंध में दिशा–निर्देशों में निदेशक मंडल द्वारा प्रयोग की जाने वाली ये शक्तियां शामिल नहीं हैं। अतः दूरसंचार विभाग को परामर्श दिया जाता है कि वह संबंधित विभाग से अंशकालिक निदेशकों और अथवा सरकारी नामिति निदेशकों को प्रदान की गई इन सुविधाओं को, यदि काई हो, वापस ले अन्यथा इनसे अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को नजीर मिलती है।

अधोहस्ताक्षरी को इस संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में 31 जुलाई, 2003 तक सूचित किया जाना चाहिए।

(डीपीई का.ज्ञा. सं. 2(20)/03–डीपीई (डब्ल्यूसी), दिनांक 21 जुलाई, 2003)

*****